अपील सूचना अधिकार संख्या 41/2019 (RCMS 2019/00130) श्री भंवर लाल पुत्र स्व. श्री शिवनाथराम निवासी जे–1, कुंज विहार, श्रगंगानगर बनाम उपपंजीयन अधिकारी, श्रीगंगानगर

06.11.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री भंवर लाल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने उपपंजीयन अधिकारी, श्रीगांगनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसे उसकी ईमेल आईडी पर सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री भंवर लाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.04.2019 के द्वारा उपपंजीयन अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

> जनवरी 2016 से आज दिनांक तक की गई समस्त (मकान/व्यवसायिक भवन/दुकान/कृषि भूमि) की रजिस्ट्रीयों के आवेदनकों के नाम/पता/मोबाईल नं. की संधारित सूची की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में **तहसीलदार, श्रीगंगानगर** ने अपने पत्रांक न्याय/2019/280 दिनांक 20.05.019 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि आप द्वारा चाही गई वांछित सूचना सृजनात्मक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना देय नहीं है। अतः आप द्वारा दिया गया आवेदन पत्र दाखिल दफ्तर किया जाता है। सूचनार्थ।
>
> -sd-
> तहसीलदार (भू.अ.)
> श्रीगंगानगर(राज.)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में **उप पंजीयक श्रीगंगानगर** ने अपीलार्थी को लिखते हुए, अपने पत्रांक 456 दिनांक 11.07.019 से प्रति इस कार्यालय को भिजवाई है, जिसके अनुसार उप पंजीयक, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु नियमानुसार नकल/सत्यप्रति फीस जमा करवा आवेदन क जिला पंजीयन अभिलेखागार, उप पंजीयक कार्यालय, श्रीगंगानगर से नकल प्राप्त करें।
>
> -sd-
> उप पंजीयक
> श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है** जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। **तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना तक सीमित है तथा जिस· स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से तहसीलदार, श्रीगंगानगर की हैसियत से दिया गया उक्त उत्तर सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

चूंकि अपीलार्थी द्वारा उप पंजीयक, श्रीगंगानगर के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत उप पंजीयक द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है बल्कि इस हेतु महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर के पत्रांक एफ2(30)सू.अ./नियुक्ति/मुख्यालय/2337 दिनांक 25.11.2016 के तहत प्रथम अपील अधिकारी के रूप में संबंधित उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग अधिकृत है। इसलिए अपीलार्थी सक्षम अथोरिटी के समक्ष नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति तहसीलदार(राजस्व) एवं उप पंजीयक, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर